न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 43/2015/अपील

रामलाल पुत्र नारायणराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अजीतपुरा तहसील धोद जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 भगवान सहाय पुत्र झूंथाराम जाति चेजारा निवासी मोहल्ला चेजारान, सालासर बस स्टेण्ड के आगे, कंवरपुरा रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर
2 भूमिधारक राजस्थान जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.10.1985 तहसीलदार सीकर मुकदमा संख्या 297/1985

वकील अपीलांट श्री प्रभातीलाल
वकील रेस्पोडेंट श्री सागरमल धायल

निर्णय **दिनांकः—26.09.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम अजीतपुरा नवसृजित तहसील धोद पुरानी तहसील सीकर जिला सीकर की तन में पुराना खसरा संख्या 219 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा के वर्तमान खसरा संख्या 465 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 487 रकबा 1.82 है0, खसरा संख्या 489 रकबा 1.44 है0 खसरा संख्या 530 रकबा 0.49 है0 किस्म चारागाह (बंजड़ जोहड़) अवस्थित है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने से पूर्व अर्थात रियासत काल में अपीलान्ट के पूर्वज मोतीराम ब्राहमण को ठिकानेदार द्वारा उदक में दी गई थी। उक्त मोतीराम अपीलान्ट के दादा के दादा थे। जिनके एक पुत्र पीथाराम व पुत्री सुखी थी उक्त सुखी का जोहड़ में डूब जाने से आकस्मिक निधन हो गया था जिस कारण मोतीराम ने उक्त भूमि गांव के पशुओ की चराई हेतु छोड़ दी थी उस समय से ही इस चारागाह भूमि को सुख्याणी जोहड़ के नाम से जाना जाता है।यह भूमि पशुधन के चराई हेतु काम में आती है जिसमें ग्रामीणजनो एवं अपीलान्ट का हित निहित होने के कारण अपीलान्ट सुख्याणी जोहड़ की भूमि में से बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम भूमि का नियमन कर देने से प्रभावित व्यक्ति है उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नियमन कर देने की अपीलान्ट को पूर्व में जानकारी नही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे जारी किया गया नियमन आदेश दिनांकित 10.10.1985 नियमन की परिधि में नही आता है, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नातो अजीतपुरा गांव का निवासी था, ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पट्टा में वर्णित भूमि पर वर्ष 1971 से पूर्व कभी अनाधिकृत कब्जा रहा परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 11.09.1985 को बंजड़ जोहड़ की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की नियत से रास्ता के नजदीक पत्थर लाद लिये थे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया व अतिक्रमण की गई भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पत्थर उठावा दिये थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम अजीतपुरा का निवासी नही था, ना ही रेस्पो. संख्या 1 का पट्टा में वर्णित भूमि पर वर्ष 1971 से पूर्व कभी अनाधिकृत कब्जा रहा। रेस्पो. संख्या 1 ने दिनांक 11.09.1985 को बंजड़ जोहड़ की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की नियत से रास्ता के नजदीक पत्थर डाल दिये। जिसकी शिकायत तत्कालीन तहसीलदार को दी गई जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि से रेस्पो. संख्या 1 के पत्थर उठवा दिये। अपीलान्ट तहसीलदार सीकर के समक्ष उपस्थित हुआ और उन्हें पुराना खसरा संख्या 219 की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में बताया व उक्त भूमि में 500 वर्गगज का पटटा भगवान सहाय के नाम से होना बताया। तत्पश्चात ग्रामीणजनो से राय मशविरा करके माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अतिशिघ्र ही अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 297/1985 में पारित चुनौतिग्रस्त नियमन आदेश दिनांक 10.10.1985 को निरस्त किया जाने की कृपा करे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय सर्वप्रथम पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया एवं अपना जवाब नोटिस पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.85 का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 10.10.1985 में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अजीतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 219 किस्म बंजड़ जोहड़ पर प्रार्थी भगवानसहाय द्वारा पट्टियों का बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया हुआ है एवं प्रार्थी स्वयं हाजिर होकर प्रस्तुत किये गये जवाब में प्रार्थी ने अपना कब्जा पुराना होने व 1970 से काबिज होने के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत जेरठी का प्रमाण पत्र एवं कन्हैयालाल पुत्र रामेश्वर के बयान आदि के आधार पर प्रार्थी भगवान सहाय का अतिक्रमण पुराना मानते हुये राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 23.04.1977 के अनुसरण में नियमन किये जाने हेतु आदेश पारित किया हुआ है। जिसमें ग्राम अजीतपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 219 किस्म बंजड़ जोहड़ पर प्रार्थी को 500 वर्गगज भूमि का निःशुल्क सिर्फ 5/– रूपये फीस लेकर नियमन करने व 406 वर्गगज से बेदखल करने हेतु आदेश पारित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी भगवानसहाय द्वारा भूमि खसरा नम्बर 219 किस्म बंजड़ जोहड़ पर पट्टियों का बाड़ा बनाकर पत्थर डालकर कब्जा करना अंकित किया हुआ है। प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज होने के उपरांत अप्रार्थी को जारी नोटिस में ईटों का बाड़ा होना अंकित किया हुआ है। प्रार्थी भगवानसहाय द्वारा तहसीलदार सीकर के समक्ष नियमन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.09.1985 में प्रार्थी में उक्त भूमि पर पत्थरों का बाड़ा होना अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत जेरठी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में ग्राम अजीतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 219 पर श्री भगवानसहाय का बाड़ा होना, जिसमें पत्थर पड़े होना व पट्टी पड़ी हुई होना अंकित किया हुआ है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील पत्रावली के अवलोकन करने पर अप्रार्थी भगवान सहाय द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में उल्लेखित किया है कि उक्त बाड़े में प्रार्थी सन् 1970 के पूर्व से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 03.07.2014 के मुताबिक प्रार्थी भगवान सहाय के नियमन की गई भूमि पर पट्टियों का बाड़ा होना अंकित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.1985 राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 23.04.1977 के अनुसरण में जारी किया हुआ है। राजस्व (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.04.1977 के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक, चारागाह, वन भूमि, गैर मुमकिन तथा आबादी पर आवास गृह या बाडा बनाकर किये गये सभी अतिक्रमणों का नियमन उन्ही निम्बधनों, शर्तों के अनुरूप किया जाना उल्लेखित किया हुआ है। जबकि न्यायालय तहसीदार सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.1985 बाड़ा के प्रयोजन हेतु जारी किये जाने के बावजूद पटवारी हल्का की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा नियमन हेतु प्रस्तुत आवेदन, सरपंच ग्राम पंचायत जेरठी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में पत्थरों, पट्टियों का बाड़ा होना अंकित किया हुआ है एवं प्रार्थी भगवान सहाय द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत जवाब आवेदन में पट्टा स्थल भूमि पर पट्टियों का बाड़ा बनाकर अपना कारोबार करना उल्लेखित किया हुआ है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से प्रार्थी के पक्ष में नियमन की हुई भूमि का उपयोग ईट, पत्थर एवं पट्टियों का बाड़ा बनाकर काम में लिया जाना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 297/1985 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.1985 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official